उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या- 7 / 2021 /876/79-वि-1-2021-11/2020

लखनऊः दिनांक **22** सितम्बर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राकेश कुमार मौर्य, समीक्षा अधिकारी, विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा शासकीय कार्यहित में विधायी विभाग से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-23912 (एम/बी)/2020 जय प्रकाश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से कनेक्टेड रिट याचिका संख्या-8620(एम/बी)/2021, रिट याचिका संख्या-3200(एम/बी)/2021, रिट याचिका संख्या-2783(एम/बी)/2021, रिट याचिका संख्या-14737(एस/बी)/2021, रिट याचिका संख्या-9637(एम/बी)/2021 तथा रिट याचिका संख्या-1311(एम/बी)/2021 विषयक रिट याचिकाओं की प्रतियॉ विधायी विभाग में प्राप्त नहीं होने के कारण रिट याचिकाओं की प्रतियॉ **मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के सम्बन्धित अनुभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्राप्त कर छाया प्रतियाँ करायी गयीं, जिसके लिए श्री राकेश कुमार मौर्य द्वारा कुल रू0 4,720/- (रूपये चार हजार सात सौ बीस मात्र) की धनराशि व्यय की गयी है। उक्त व्यय की गयी धनराशि की रसीदें/कैश मेमों संख्या-1176 एवं 1185, दिनांक 04 अगस्त, 2021 क्रमशः मूल्य 0 4,150/- एवं रू0 570/- को मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।**

2- इस सम्बन्ध में प्रस्तर-1 में उल्लिखित श्री राकेश कुमार मौर्य, समीक्षा अधिकारी, विधायी अनुभाग-1 द्वारा शासकीय कार्यहित में व्यय की गयी कुल धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत अनुरोध-पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2021 पर सम्यक विचारोपरांत **कैश मेमों में अंकित** कुल धनराशि रू0 4,720/- (रूपये चार हजार सात सौ बीस मात्र) की प्रतिपूर्ति श्री राकेश कुमार मौर्य को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता- 08-कार्यालय व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

(अतुल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 7 /</u> 2021 /876 **<u>(1)/79-वि-1-2021, तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, उ0प्र0, एल0जे0 कम्पाईलेशन सेक्शन, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (न्याय लेखा प्रकोष्ठ के माध्यम से) ।

---2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन को सत्यापित **रसीदें/कैश मेमों संख्या-1176 एवं 1185, दिनांक 04 अगस्त, 2021 क्रमश: मूल्य रू0 4,150/- एवं रू0 570/-** कुल धनराशि रू0 4,720/- (रूपये चार हजार सात सौ बीस मात्र) मूलरूप में आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया उक्त धनराशि का भुगतान श्री राकेश कुमार मौर्य, समीक्षा अधिकारी, विधायी अनुभाग-1 को करने का कष्ट करें।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

5- न्याय अनुभाग-9 (बजट) को स्वीकृत धनराशि रूपये 4,720/- (रूपये चार हजार सात सौ बीस मात्र) का उपर्युक्त सुसंगत मद में ऑनलाईन बजट आवंटन करके न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को सीधे उपलब्ध कराने के आशय से प्रेषित । सूच्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधायी विभाग के लिए आय-व्ययक में उक्त मानक मद में रू0 35,000/- का बजट प्रावधान न्याय विभाग द्वारा कराया गया है ।

6- श्री राकेश कुमार मौर्य, समीक्षा अधिकारी, विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।